ज्ञापांक–**5608/**तक0 / 2023

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–29.09.2023

सेवा में,

Ravindra Pradhan,
M/S EXIGENCY VENTURES PRIVATE LIMITED,
1st Floor, PradhanTower, Main Road, Ranchi-1.

विषयः– **मौजा–Pugru, प्लॉट नं0–Survey Plot No. - 55P / Industrial Plot No. - 256P, खाता नं0–96, वार्ड नं0–NA, थाना–टिपुदाना, जिला–राँची में प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित भवन की स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, धुर्वा, राँची के माध्यम से प्रस्तवित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–360 दिनांक–22.09.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 30,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 10,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में 150mm डाया वाले एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय। भवन के सामने एक यार्ड हाईड्रैण्ड का संस्थापन किया जाय।
5. भवन के बेसमेन्ट को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो एवं राईजर एवं स्प्रिंकलर के लिए अलग–अलग पंपिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाय।
6. भवन के सभी व्यावसायिक तलों को Smoke Detection System से सुरक्षित किया जाय।
7. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें एक शक्तिशाली फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. 450 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
10. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
11. उपर्युक्त भवन के किसी एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
13. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
14. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।

15. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
16. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
17. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Auto Modular Fire Extinguisher एवं रबड़ मैट से सुरक्षित किया जाय।एवं मेन ईलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
18. भवन में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
19. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
20. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
21. बेसमेन्ट से जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाय। बेसमेन्ट में Transformer, Boiler, Pressurized Cylinder, Generator, A.C न रखें जाय। भवन में बेसमेन्ट वाले भाग में समुचित Ventilation की व्यवस्था रखी जाय, ताकि प्रति घंटा कम से कम 12 से 15 एयर चेज होता रह सकें एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चेंज तक बढ़ाया जा सकें।
22. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
23. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
24. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवनों में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
25. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
26. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
27. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.09.29 17:25:54 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।